कार्यपालिक सारांश

हमने इस अध्याय में क्या मुख्यांकित किया	इस अध्याय में हमने राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का रुझान, बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रत्युत्तरता, विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन, लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों पर सरकार/विभागों द्वारा कार्यवाही करने की प्रक्रिया, निरीक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित प्रस्तरों की स्थिति, राज्य आबकारी विभाग की विभिन्न लेखापरीक्षाओं में सरकार को की गई संस्तुतियों, जो कि विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई थी एवं लेखापरीक्षा के प्रभाव को प्रस्तुत किया है।
राज्य सरकार की प्राप्तियों का रुझान	उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व ₹ 71,068.34 करोड़ था जो कि कुल राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। शेष 51 प्रतिशत प्राप्तियों की राशि ₹ 74,835.65 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त हुई।
निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों का अनुपालन न होना	दिसम्बर 2012 तक जारी 10,808 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 30,694 प्रस्तरों जिनमें निहित राशि ₹ 6,305.36 करोड़ थी जून 2013 तक अनुपालन के अभाव में लम्बित थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों के निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर विभागाध्यक्षों से प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक था परन्तु मार्च 2013 तक निर्गत 1,147 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (जून 2013)। उत्तरों के प्राप्त नहीं होने से निरीक्षण प्रतिवेदनों की अधिक लम्बित संख्या इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, चूकों और अनियमितताओं को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की।
विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई धनराशि की बहुत कम वसूली	वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शासन/विभागों ने ₹ 1,437.76 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया जिसमें से केवल ₹ 36.19 करोड़ (2.52 प्रतिशत) की वसूली दिसम्बर 2013 तक की गई थी।

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	वर्ष 2012–13 में हमने पाया कि केवल तीन विभागों[1] द्वारा 61 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें की गईं जिसमें ₹ 1.46 करोड़ धनराशि के 300 प्रस्तर तय किये गये, जबकि अन्य विभागों द्वारा विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिये कोई पहल नहीं की गई। यह संस्तुति की जाती है कि शासन सामयिक रूप से सभी विभागों की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करे ताकि लम्बित प्रस्तरों का शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण किया जा सके।
हमारा निष्कर्ष	वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान ₹ 2,045.28 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के लेखापरीक्षा प्रेक्षण निर्गत किये गये। शासन/विभागों द्वारा ₹ 3.35 करोड़ के 496 मामले स्वीकार किये गये व 359 मामलों में ₹ 1.24 करोड़ वसूले गये। पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिये बकाया राजस्व राशि कुल लम्बित राशि का 60.70 प्रतिशत था। सरकार बकाये की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने का प्रयास करे। सरकार लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के प्रत्युत्तर में प्रभावी प्रक्रिया लागू करने के लिए शीघ्र एवं उपयुक्त कदम उठाये एवं उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे जिन्होंने निरीक्षण प्रतिवेदनों/आलेख प्रस्तरों के उत्तर तय समय सीमा पर नहीं भेजे और समयबद्ध तरीके से राजस्व बकाये की वसूली के लिये कार्यवाही नहीं की। विभाग कम से कम स्वीकृत मामलों में निहित धनराशि की वसूली के लिये समुचित कदम उठायें।

[1] वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन तथा राज्य आबकारी विभाग।

अध्याय–I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायक अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आँकड़े सारणी क्रमांक 1.1 में दर्शाये गये हैं:

सारणी क्रमांक 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	28,658.97	33,877.60	41,355.00	52,613.43	58,098.36
	• करेतर राजस्व	6,766.55	13,601.09	11,176.21	10,145.30	12,969.98
	योग	**35,425.52**	**47,478.69**	**52,531.21**	**62,758.73**	**71,068.34**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	30,905.72	31,796.67	43,218.90	50,350.95	57,497.86[2]
	• सहायक अनुदान	11,499.49	17,145.59	15,433.65	17,760.02	17,337.79
	योग	**42,405.21**	**48,942.26**	**58,652.55**	**68,110.97**	**74,835.65**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1 + 2)**	**77,830.73**	**96,420.95**	**1,11,183.76**	**1,30,869.70**	**1,45,903.99**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**46**	**49**	**47**	**48**	**49**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,45,903.99 करोड़) का, विगत वर्ष के 48 प्रतिशत के विरूद्ध 49 प्रतिशत था। 2012–13 की प्राप्तियों का शेष 51 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

1.1.2 सारणी क्रमांक 1.2 वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि में उगाहे गये कर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

सारणी क्रमांक 1.2

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011–12 पर 2012–13 में वृद्धि अथवा कमी (–)	2011–12 पर वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर (0040)	17,482.05	20,825.18	24,836.52	33,107.34	34,870.16	1,762.82	05.32
2.	राज्य आबकारी (0039)	4,720.01	5,666.06	6,723.49	8,139.20	9,782.49	1,643.29	20.19
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क (0030)	4,138.27	4,562.23	5,974.66	7,694.40	8,742.17	1,047.77	13.62
4.	वाहनों पर कर (0041)	1,124.66	1,403.50	1,816.89	2,375.86	2,992.92	617.06	25.97
5	माल एवं यात्रियों पर कर (0042)	266.49	271.05	241.69	4.81	1.04	(-) 3.77	(-) 78.38
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क (0043)	216.72	272.16	357.00	458.20	484.91	26.71	05.83
7.	भू–राजस्व (0029)	549.28	663.14	1134.16	490.68	804.64	313.96	63.98
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (0045)	140.58	193.34	245.15	312.46	385.08	72.62	23.24
9.	होटल प्राप्तियाँ (0023)	20.91	20.94	25.44	30.46	34.95	4.49	14.74
	योग	**28,658.97**	**33,877.60**	**41,355.00**	**52,613.41**	**58,098.36**	**5,484.95**	**10.43**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

[2] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2012–13 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11, देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में वृहत लेखा शीर्षक 'अ– कर राजस्व' के अन्तर्गत–0020– निगम कर, 0021– निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028– आय और व्यय पर अन्य कर, 0032– धन पर कर, 0037–सीमाकर, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044–सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क–राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा 'विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में' शामिल किया गया है।

अनुरोध (सितम्बर 2013) के उपरान्त भी भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2013)।

1.1.3 सारणी क्रमांक 1.3 वर्ष 2008–09 से वर्ष 2012–13 की अवधि में उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण प्रस्तुत करती है:

सारणी क्रमांक 1.3

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12 पर 2012-13 में वृद्धि अथवा कमी (–)	2011-12 पर वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1.	विविध सामान्य सेवायें (0075)	1,698.79	8,075.13	5,120.67	4,035.23	4,494.11	458.88	11.37
2.	ब्याज प्राप्तियाँ (0049)	963.87	603.66	689.32	789.22	1,186.41	397.19	50.33
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन (0406)	271.92	271.29	280.34	285.88	332.08	46.20	16.16
4.	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (0853)	427.31	604.97	653.39	593.28	722.13	128.85	21.72
5.	स्हकारिता (0425)	26.46	16.39	9.38	9.78	11.99	2.21	22.60
6.	विविध[3]	2,499.74	3,203.40	3,711.37	3,484.40	5,535.76	2,051.36	58.87
7.	अन्य[4]	878.46	826.25	711.74	947.51	687.50	(-)260.01	(-) 27.44
	योग	**6,766.55**	**13,601.09**	**11,176.21**	**10,145.30**	**12,969.98**	**2,824.68**	**27.84**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

अनुरोध (सितम्बर 2013) के उपरान्त भी भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2013)।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता

वर्ष 2012–13 के लिये कर एवं करेतर राजस्व के मुख्य शीर्षों के सम्बन्ध में बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता को सारणी क्रमांक 1.4 में दर्शाया गया है:

सारणी क्रमांक 1.4

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता आधिक्य अथवा कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
क. कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर (0040)	38,492.18	34,870.16	(-) 3,622.02	(-)9.41
2.	राज्य आबकारी (0039)	10,068.28	9,782.49	(-) 285.79	(-) 2.84
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क (0030)	9,308.00	8,742.17	(-) 565.83	(-) 6.08
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	3,093.90	2,993.96	(-) 99.94	(-) 3.23
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क (0043)	411.00	484.91	73.91	17.98
6.	भू–राजस्व (0029)	299.96	804.64	504.68	168.25
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (0045)	348.34	385.08	36.74	10.55
8.	होटल प्राप्तियाँ (0023)	35.38	34.95	(-) 0.43	(-) 01.22
ख. करेतर राजस्व					
9.	विविध सामान्य सेवायें (0075)	3,264.23	4,494.11	1,229.88	37.68
10.	ब्याज प्राप्तियाँ (0049)	924.36	1,186.42	262.06	28.35
11.	वानिकी एवं वन्य जीवन (0406)	353.93	332.08	(-) 21.85	(-) 6.17
12.	अलौह उत्खनन एवं धातुकर्म उद्योग (0853)	954.00	722.13	(-) 231.87	(-) 24.31
13.	सहकारिता (0425)	11.25	11.99	0.74	06.58

[3] विविध में निम्नलिखित प्राप्तियां सम्मिलित हैं:
मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, अन्य प्रशासनिक सेवायें, पुलिस, फसल पालन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, सड़क एवं सेतु, लोक निर्माण आदि।

[4] अन्य में निम्नलिखित प्राप्तियां सम्मिलित हैं:
अन्य वित्तीय सेवायें, लाभांश एवं लाभ, लोक सेवा आयोग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, परिवार कल्याण, जलापूर्ति एवं जल–मल निकासी, आवास, शहरी विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क, श्रम एवं रोजगार आदि।

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता का विस्तार (–) 24.31 प्रतिशत एवं 168.25 प्रतिशत रहा।

अनुरोध (सितम्बर 2013) के उपरान्त भी भिन्नता के कारण प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2013)।

1.3 मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रह की लागत

मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सन्दर्भ में वर्ष 2012–13 के दौरान उनके संग्रह पर किये गये व्यय एवं सकल व्यय के सापेक्ष ऐसे व्यय की प्रतिशतता एवं वर्ष 2011–12 में संग्रह पर हुये व्यय की अखिल भारतीय प्रतिशतता का औसत सारणी क्रमांक 1.5 में उल्लिखित है:

सारणी क्रमांक 1.5

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता	2011–12 का अखिल भारतीय संग्रह की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	34,870.16	430.31	1.23	0.83
राज्य आबकारी	9,782.49	116.88	1.19	2.98
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	8,742.17	237.57	2.72	1.89
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	2,993.96	95.45	3.19	2.96

उपरोक्त सारणी यह इंगित करती है कि राजस्व शीर्ष "बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क एवं वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर" के अन्तर्गत संग्रह पर हुये व्यय की प्रतिशतता गत वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी। विभागों को इस मामले को देखने और संग्रह की अधिक लागत को कम करने के लिये कदम उठाने की आवश्यकता है। हम "राज्य आबकारी" राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत गत वर्ष के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से न्यून होने पर सराहना करते हैं।

1.4 पाँच वर्ष से अधिक बकाये का कुल राजस्व के बकाये के सन्दर्भ में विश्लेषण

विभागों[5] द्वारा प्रतिवेदित कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों के बकाये की 31 मार्च 2013 तक की स्थिति ₹ 23,573.67 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 14,310.37 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक के थे, सारणी क्रमांक 1.6 में दर्शित है:

सारणी क्रमांक 1.6

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक के बकाये	31 मार्च 2013 तक पाँच वर्ष से अधिक पुराने बकाये
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	22,850.53	14,256.01
2.	राज्य आबकारी	54.06	48.51
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	586.67	उपलब्ध नहीं
4.	वाहनों पर कर	53.83	उपलब्ध नहीं
5.	मनोरंजन कर	28.58	5.85
	योग	**23,573.67**	**14,310.37**

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग एवं परिवहन विभाग के पास पाँच वर्षों से अधिक पुराने बकाये का ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।

पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया सकल बकाये का 60.70 प्रतिशत था।

[5] वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन एवं मनोरंजन कर विभाग

हम संस्तुति करते हैं कि बकाये की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिये सरकार समुचित प्रयास करे।

1.5 संवीक्षा/कर निर्धारण के बकाये

उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा 3 के अनुसार कर निर्धारण की समय सीमा किसी कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के तीन वर्ष के लिये निर्धारित की गई है।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित करा गया, वाणिज्यिक कर से सम्बन्धित कर निर्धारणों का ब्यौरा, जैसा कि 31 मार्च 2013 को था, सारणी क्रमांक 1.7 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 1.7

वर्ष के आरम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान कर निर्धारण के लिये योग्य हुये मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निस्तारित किये गये मामलों की संख्या	वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या
1,84,052	4,58,225	4,95,505	1,46,772

विभाग को चाहिये कि वह लम्बित कर निर्धारण के मामलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ले।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभाग का प्रत्युत्तर

निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार सरकारी विभागों के संव्यवहारों और रखे गये महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना जाँच हेतु महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश (ए0जी0) द्वारा सरकारी विभागों का समयावधिक निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए जब स्थल पर समाधान नहीं हो पाता, तो निरीक्षण कार्यालयों के अध्यक्षों सहित उनके उच्चतर अधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आपत्तियों पर कमियाँ एवं त्रुटियों को सुधार कर कार्यालयाध्यक्षों/शासन के प्रारम्भिक उत्तर के साथ अनुपालन आख्या महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

1.6.1 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा प्रेक्षण

दिसम्बर 2012 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की हमारी समीक्षा से पता चला कि जून 2013 के अन्त तक 10,808 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 6,305.36 करोड़ धनराशि के 30,694 प्रस्तर लम्बित थे, विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़ों के साथ विवरण सारणी क्रमांक 1.8 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 1.8

क्रम सं0	विवरण	2011	2012	2013
1.	निस्तारण के लिये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	10,349	11,538	10,808
2.	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	25,501	28,455	30,694
3.	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	4,445.39	5,234.12	6,305.36

वर्ष 2013 तक लम्बित प्रस्तरों का आयु–वार विवरण सारणी क्रमांक 1.9 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 1.9

क्रम सं0	विवरण	10 वर्ष तक पुराने	11 से 20 वर्ष पुराने	20 वर्ष से अधिक पुराने	योग
1.	निस्तारण के लिये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	6,751	2,945	1,112	10,808
2.	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	22,986	5,951	1,757	30,694
3.	सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	5,399.73	862.10	43.53	6,305.36

30 जून 2013 को लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के ब्यौरे एवं उनमें सन्निहित धनराशियों के ब्यौरे सारणी क्रमांक 1.10 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.10

क्रम सं0	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	वर्ष जिनसे प्रेक्षण सम्बन्धित हैं
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर प्रवेश कर सहित	4,854	16,796	2,582.71	1984-85 से 2012-13
2.	राज्य आबकारी	1,169	2,315	335.17	1984-85 से 2012-13
3.	वाहनों पर कर	1,066	3,871	805.30	1984-85 से 2012-13
4.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	2,803	5,445	332.23	1984-85 से 2012-13
5.	विद्युत शुल्क	177	222	171.89	1988-89 से 2012-13
6.	मनोरंजन कर	162	272	12.65	1997-98 से 2012-13
7.	वानिकी एवं वन्य जीवन	515	1,406	1,590.92	2003-04 से 2012-13
8.	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	62	367	474.49	2010-11 से 2012-13
योग		**10,808**	**30,694**	**6,305.36**	

1.6.2 लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन

मार्च 2013 तक निर्गत 1,147 निरीक्षण प्रतिवेदनों जिनके प्रथम उत्तर कार्यालयाध्यक्षों से उनके निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर प्राप्त हो जाने थे, नहीं प्राप्त हुये थे।

निरीक्षण प्रतिवेदनों का लम्बित रहना इस तथ्य को इंगित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने महालेखाकार द्वारा निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

शासन को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का त्वरित तथा उपयुक्त प्रत्युत्तर हेतु एक प्रभावकारी प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों/ प्रेक्षणों का उत्तर न भेजने तथा समयबद्ध तरीके से लम्बित मांगों की वसूली नहीं करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने की हम अनुशंसा करते हैं।

1.7 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों प्रतिवेदनों के प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति, अनुश्रवण एवं शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार विभिन्न अवधियों के दौरान लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। वर्ष 2012–13 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों की बैठकें एवं निस्तारित प्रस्तरों के विवरण सारणी क्रमांक 1.11 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.11

विभाग का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	तय किये गये प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	निरीक्षण प्रतिवेदनों की अवधि जिनसे सम्बन्धित प्रस्तर तय किये गये
वणिज्य कर	32	262	0.88	1995–96 से 2012–13 तक
स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	24	06	0.02	2010–11
राज्य आबकारी	05	32	0.56	1996–97 से 1998–99 से 2002–03 एवं 2009–10 से 2012–13 तक
योग	**61**	**300**	**1.46**	

राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने के प्रयासों की हम सराहना करते हैं।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के अतिरिक्त, नीचे दर्शाये गये विवरणानुसार मौके पर की गई वार्ता तथा विभागों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 11.12 करोड़ के 552 प्रस्तर निस्तारित किये गये जिनका ब्यौरा सारणी क्रमांक 1.12 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 1.12

विभाग का नाम	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्य कर	426	4.79
स्टाम्प एवं निबन्धन	30	0.24
राज्य आबकारी	73	5.32
परिवहन	05	0.13
भू–राजस्व	07	0.44
भू–तत्व एवं खनिकर्म	02	0.19
मनोरंजन कर	09	0.01
योग	**552**	**11.12**

अनिस्तारित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के शीघ्र निस्तारण के लिये यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समितियाँ नियमित रूप से मिलें और निस्तारण के लिये लम्बित सभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.8 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर सभी विभागों को छः सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देने के लिये वित्त विभाग ने निर्देश निर्गत किये थे। आलेख प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा परिणामों पर उनका ध्यान आकर्षित करने तथा छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिये अनुरोध करते हुए महालेखाकार के माध्यम से हमने अर्द्ध शासकीय पत्र भेजे। विभाग से उत्तर न प्राप्त होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्तरों के अन्त में निश्चित रूप से दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन में सम्मिलित 55 आलेख प्रस्तरों एवं एक समीक्षा (48 प्रस्तरों में समेकित एवं एक समीक्षा) को सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से जुलाई 2013 में अग्रसारित किया गया था। सम्बन्धित विभागों के सचिवों ने समीक्षा एवं 53 आलेख प्रस्तरों के उत्तर भेजे, जबकि वाणिज्य कर विभाग के 2 आलेख प्रस्तरों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुश्रवण – सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चित प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों और समीक्षाओं पर, चाहे वह लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिए गये हों या न लिये गये हों, विभाग द्वारा स्वतः कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। पूर्व में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत, वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 169 प्रस्तरों/समीक्षाओं में से 87 आलेख प्रस्तरों/समीक्षाओं पर कोई भी व्याख्यात्मक टिप्पणी नवम्बर 2013 तक हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थीं। वर्ष 2007 के पश्चात् अवशेष व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण सारणी क्रमांक 1.13 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.13

प्रतिवेदन का वर्ष	विधायिका के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या	प्रस्तरों/समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी हैं	प्रस्तरों/ समीक्षाओं की संख्या जिन पर विभाग से व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं
2007–08	17 फरवरी 2009	16	14	2
2008–09	28 जनवरी 2010	13	9	4
2008–09 (राज्य आबकारी विभाग पर स्टैण्ड अलोन प्रतिवेदन)	5 अगस्त 2011	29	29	0
2009–10	08 अगस्त 2011	20	13	07
2010–11	30 मई 2012	35	17	18
2011–12	16 सितम्बर 2013	56	0	56
योग		**169**	**82**	**87**

कृत कार्यवाही की टिप्पणी/प्रतिवेदन भेजे जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान हैं कि इन्हें लोक लेखा समिति की बैठकों के छः माह के अन्दर सूचित किया जाना चाहिये। किन्तु, विभागों द्वारा अभी तक संसूचित नहीं किया गया है।

1.10 राज्य आबकारी विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये बिन्दुओं के क्रम में, एक विभाग से सम्बन्धित पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी समीक्षाओं तथा प्रस्तरों में उठाये गये मुख्य बिन्दुओं पर शासन/विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तरों 1.10.1 से 1.10.2 में **राज्य आबकारी विभाग** से सम्बन्धित विगत छः वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामले एवं वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर चर्चा की गयी है।

1.10.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछलें छः वर्षों के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों और मार्च 2013 तक की उनकी स्थिति का विवरण सारणी क्रमांक 1.14 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.14

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			अन्त शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
2007-08	773	1,135	399.21	65	90	49.16	68	92	42.90	770	1,133	405.47
2008-09	770	1,133	405.47	69	111	14.98	45	72	10.73	794	1,172	409.72
2009-10	794	1,172	409.72	87	190	26.51	45	69	12.99	836	1,293	423.24
2010-11	836	1,293	423.24	79	171	119.00	55	112	4.21	860	1,352	538.03
2011-12	860	1,352	538.03	190	567	246.02	35	74	17.27	1,015	1,845	766.78
2012-13	1,015	1,845	766.78	120	320	47.83	11	49	1.04	1,124	2,116	813.57

वर्ष 2008–09 के दौरान जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों जिनमें ₹ 49.99 करोड़ की धनराशि निहित थी, लेखापरीक्षा समिति की 19 बैठकों में निस्तारित किये गये।

1.10.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्यांकित बिन्दुओं पर शासन/विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन

1.10.2.1 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले पॉच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों की स्थिति, इसमें से विभाग द्वारा स्वीकार किये गये मामले तथा वसूल की गई धनराशियों का विवरण सारणी क्रमांक 1.15 में वर्णित हैं:

सारणी क्रमांक 1.15

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का वर्ष	सम्मिलित किये गये प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों में निहित धनराशि	स्वीकृत प्रस्तरों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तरों की धनराशि	वसूल की गई धनराशि (31.12.2013 तक)
2007-08	2	1.26	01	0.76	0.26
2008-09	29	1,344.56	09	4.24	3.93
2009-10	03	1.44	0	0	0
2010-11	11	1.03	05	3.04	0.52
2011-12	08	12.08	02	0.49	0.12
योग	**53**	**1,360.37**	**17**	**8.53**	**4.83**

पूर्वगामी सारणी यह दर्शाती है कि प्रस्तरों की स्वीकृति अत्यन्त न्यून है। स्वीकृत प्रस्तरों की वसूली मात्र 57 प्रतिशत है।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग कम से कम स्वीकृत प्रस्तरों में सन्निहित धनराशियों की वसूली सुनिश्चित करे।

1.11 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पूर्व रुझान, अन्य मापदण्डों एवं राजस्व की स्थिति के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम के विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन व शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामलें जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछलें पाँच वर्षों में अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूपरेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान कुल 2,581 इकाइयाँ लेखापरीक्षण हेतु उपलबध थीं, जिनमें से 1,285 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। विस्तृत विवरण सारणी क्रमांक 1.16 में दर्शित हैं:

सारणी क्रमांक 1.16

क्रम संख्या	विभाग का नाम	लेखापरीक्षण योग्य इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
1.	वाणिज्य कर	1,643	616
2.	राज्य आबकारी	296	148
3.	परिवहन	72	72
4.	मनोरंजन कर	72	24
5.	स्टाम्प एवं निबंधन	425	352
6.	भू–तत्व एवं खनिकर्म	73	73
योग		**2,581**	**1,285**

योजना बनाते समय उच्च जोखिम वाली इकाइयों को मध्यम एवं न्यून जोखिम वाली इकाइयों पर प्राथमिकता दी गई।

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त **"वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली"** पर एक समीक्षा भी की गयी है।

1.12 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.12.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अवनिर्धारण, कर के कम आरोपण/अनारोपण, राजस्व हानि, मांग उठाने में विफलता आदि के ₹ 3,517.44 करोड़ के मामले प्रतिवेदित किये गये थे। सम्बन्धित विभागों ने नवम्बर 2013 तक ₹ 1437.76 करोड़ के मामले स्वीकार किये व ₹ 36.19 करोड़ की वसूली की। स्वीकृत व वसूल किये गये मामलों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वार ब्यौरा सारणी क्रमांक 1.17 में वर्णित है:

सारणी क्रमांक 1.17

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वसूल की गई धनराशि (31.12.2013 तक)
2007-08	1,035.85	927.83	12.83
2008-09	109.07	12.23	2.28
2008-09 (राज्य आबकारी विभाग पर स्टैण्ड अलोन प्रतिवेदन)	1,344.56	4.24	3.93
2009-10	69.51	8.77	3.18
2010-11	100.50	46.28	11.37
2011-12	857.95	438.41	2.60
योग	**3,517.44**	**1,437.76**	**36.19**

स्वीकृत मामलों में वसूली अत्यन्त न्यून (2.52 प्रतिशत) है।

सन्निहित धनराशियों, विशेषतः स्वीकृत मामलों में, की त्वरित वसूली के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

1.12.2 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2007–08 से 2011–12)

हमारे वर्ष 2007–08 से 2011–12 के 5,492 निरीक्षण प्रतिवेदनों में अवनिर्धारण, कर के अनारोपण/कम आरोपण, अर्थदण्ड के अनारोपण एवं अन्य कमियों के 18,912 मामले प्रतिवेदित थे, जिनमें ₹ 3,763.83 करोड़ की धनराशि सन्निहित थी। सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के ₹ 31.35 करोड़ जिनमें 2,501 मामले निहित थे स्वीकार किया। विभागों ने 1,371 मामलों में ₹ 15.72 करोड़ वसूल किये। लम्बित प्रतिवेदनों का ब्यौरा सारणी क्रमांक 1.18 में दिया गया है:

सारणी क्रमांक 1.18

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	निहित राजस्व की धनराशि	स्वीकृत धनराशि	की गई वसूली (31.12.2013 तक)
1.	वाणिज्य कर	2,578	11,022	2,084.95	17.93	2.48
2.	राज्य आबकारी	1,169	2,315	335.17	2.65	2.65
3.	परिवहन	347	2,034	694.75	10.13	10.13
4.	स्टाम्प एवं निबन्धन	1,336	3,174	174.47	0.54	0.46
5.	भूतत्व एवं खनिकर्म	62	367	474.49	0	0
योग		**5,492**	**18,912**	**3,763.83**	**31.25**	**15.72**

1.12.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति (2012–13)

वर्ष 2012–13 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क तथा कर एवं करेतर प्राप्तियों से सम्बन्धित 1,285 इकाइयों के अभिलेखों की हमारे नमूना जाँच में ₹ 2,045.28 करोड़ के अवनिर्धारण/ कर के कम आरोपण एवं अन्य कमियों के 6,373 मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 496 मामलों में ₹ 3.35 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों आदि के मामले स्वीकार किये एवं 359 मामलों में ₹ 1.24 करोड़ वसूल किये।

यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में **"वाणिज्य कर विभाग में प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली"** पर एक समीक्षा को मिलाकर 49 प्रस्तर हैं जो कर, शुल्क, ब्याज तथा अर्थदण्ड आदि के अनारोपण/कम आरोपण, से सम्बन्धित हैं जिनमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 427.93 करोड़ है। शासन/विभागों ने ₹ 103.91 करोड़ की धनराशि की आपत्तियाँ स्वीकार की हैं, जिसमें से ₹ 2.05 करोड़ वसूल किये गये। शेष मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2013)। इने मामलों की चर्चा अनुवर्ती अध्याय–II से VI में की गई है।